

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.03.2023

बलवा कर जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर बलवा व जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त राजितराम यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 15.08.2022 को अपने परिजनों के साथ मिलकर वादी नवमी लाल पुत्र तरामन नि0 पूरे अर्जुन तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा व उसके परिजनों को बलवा करते हुए जान से मारने की नीयत से मारा पीटा था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राजितराम यादव पुत्र दुलारे उर्फ रामदुलारे यादव निवासी पूरे अर्जुन मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 313/22, धारा 147,148,149,307,352,323,504,506 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 विवेक कुमार मौर्या मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.03.2023

थाना कौडिया पुलिस ने लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला- फुसलाकर व शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-कुनाल सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना कौडिया क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसला व शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना कौडिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कुनाल सोनी पुत्र बिहारी लाल सोनी निवासी ग्राम छिरास शुकूलपुरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-89/2023 धारा 363,366 भादवि थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ0नि0 अश्वनी कुमार दूबे मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.03.2023

चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में थाना कटराबाजार पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0स0 151/2023 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी अभियुक्त मोतीलाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल रजि0न0-UP40AC7024 (HF डीलक्स) बरामद की गई। थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मोतीलाल पुत्र गुल्ले निवासी ग्राम बलिदान पुरवा मौजा सेल्हरी थाना कटराबाजार, जनपद- गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 151/2023, धारा 379, 411 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोटरसाइकिल HF डिलक्स रजि0नं0 UP40AC7024

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 नीरज कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस- नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 29.03.2023

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 29.03.2023 को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त कालीचन्द्र को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त थाना तरबगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0- 115/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कालीचंद पुत्र पुरई निवासी ग्राम रायपुर थाना वजीरगंज, जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 115/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोंडा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष संजीव वर्मा मय टीम थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 29.03.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना मनकापुर पुलिस ने 03, थाना तरबगंज पुलिस ने 01, थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. किशन पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम चन्दापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 153/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. कृष्ण कुमार पुत्र आत्माराम नि0 रामनगर झिन्ना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 89/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

पीडिता की बैग (02 सोने की अंगूठी, 01 मंगलसूत्र, मोबाईल फोन व कीमती सामान) CCTV फुटेज व मोबाइल लोकेशन के आधार पर वापस लौटाकर पेश की मानवता की मिशाल, बैग पाकर परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

आज दिनांक 29.03.2023 को घनश्याम पटवा निवासी मोहल्ला कहरान नवाबगंज जनपद गोण्डा ने थाना नवाबगंज को सूचना दिया की उनकी पुत्री घर से कटी तिराहा तक जाने के लिए बैट्री रिक्शा पर अपने बैग के साथ बैठी थीं। कटी तिराहा पर पहुंचकर बैट्री रिक्शे से उतरकर रोडवेज बस पर बैठ गईं तथा बैग बैट्री रिक्शे में ही भूल गईं। गोंडा पहुंचकर उक्त मामले की जानकारी मेरी पुत्र ने मुझे (पिता श्री घनश्याम पटवा) को दी। इस सूचना पर चौकी प्रभारी कस्बा नवाबगंज उ0नि0 योगेश प्रताप सिंह ने टीम के साथ मामले की छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल लोकेशन के आधार पर उक्त बैट्री रिक्शे का लोकेशन जलेबी चौराहा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा मिला। जिस पर चौकी प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त बैग को सकुशल बरामद किया गया तथा बालिका के पिता को सकुशल बैग सुपुर्द किया गया जिसमें 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 3 अदद सोने की अंगूठी व 01 अदद सोने का मंगलसूत्र व अन्य कीमती बस्तु मौजूद मिला। बैग के साथ कीमती सामान वापस मिलने पर गोंडा पुलिस को धन्यवाद दिया। जिसकी आम जनमानस में प्रशंसा की जा रही है।